18 अगस्त को निगम के मुख्य कार्यालय में होगा आवास आबंटन

भिलाईनगर। मोर मकान मोर आस प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही को दस प्रतिशत अंशदान राशि जमा कर 18 अगस्त को होने वाले लाॅटरी पद्धति के आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। प्रधानंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत शासन से स्वीकृति विभिन्न स्थलों में निर्मित व निर्माणाधीन आवासों के आबंटन हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात हितग्राहियों से 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कराया गया है एवं मोर मकान मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत जिन हितग्राहियों द्वारा समानुपातिक अंशदान की राशि एकमुश्त जमा कर दिया गया है। ऐसे सभी हितग्राहियों का दिनांक 18 अगस्त को सुबह 10ः30 बजे निगम मुख्यालय सुपेला मे लाॅटरी पद्धति से आवास आबंटन किया जाना है। आवास आबंटन हेतु हितग्राही योजना शाखा से लाॅटरी सूचना पत्र प्राप्त कर लेवे। पात्र आवेदक दिनांक 16 अगस्त तक आवास का अंशदान की राशि जमा कर लाॅटरी में सम्मिलित हो सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात राशि जमा करने पर आगामी लाॅटरी में शामिल किया जावेगा।

लाॅटरी में शामिल होने हेतु हितग्राही अपना अंशदान जमा रसीद की मूलपति , मूल आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लाॅटरी का सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल एवं समय में स्वंय उपस्थित रहेंगे , हितग्राही यदि दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकजन हो तो प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवास शाखा कक्ष क्रं. 16 में पुष्टि हेतु 16 अगस्त तक प्रस्तुत करेंगे अन्य जानकारी हेतु नगर पालिक निगम , भिलाई के मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रं. 16 प्रधानमंत्री आवास शाखा के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन से संपर्क कर सकते है।